भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1699

जिसका उत्तर 13 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

1699. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा झारखंड में विशेष रूप से सीसीएल के कथारा, ढोरी, बोकारो और कारगाल क्षेत्रों में विभिन्न कोयला खनन गतिविधियों के लिए अर्जित कुल भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) उक्त क्षेत्र में कोयला खदानों से विस्थापित/प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अन विस्थापित परिवारों में से किसी को मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(च) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के दौरान सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं;

(छ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उक्त क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार और उचित पुनर्वास प्रदान करने के संबंध में कई मामले लंबित हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री</u>

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सीसीएल के कथारा, ढोरी और बोकारो एवं करगली (बीएंडके) क्षेत्रों में विभिन्न कोयला खनन गतिविधियों के लिए अर्जित कुल भूमि निम्नानुसार है:-

कथारा- 3765.7 हेक्टेयर
ढोरी - 2966.71 हेक्टेयर
बीएंडके - 6977.03 हेक्टेयर

(ख) : उक्त क्षेत्रों में कोयला खानों से विस्थापित/प्रभावित परिवारों की संख्या निम्नानुसार है:-

कथारा - 83 परियोजना प्रभावित परिवार
ढोरी - 110 परियोजना प्रभावित परिवार
बीएंडके - 850 परियोजना प्रभावित परिवार

(ग) से (ड.) : जी, हां। विस्थापित परिवारों को कंपनी के मौजूदा दिशानिर्देशों, नियमों और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) नीति के लागू मानदंडों/प्रावधानों के अनुसार मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार प्रदान किया गया है/किया जा रहा है।

सीआईएल की सहायक कंपनियां विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करते हुए कुछ सहायक कंपनी-वार संशोधनों के साथ सीआईएल की आरएंडआर नीति का अनुपालन कर रही हैं और भूमि विस्थापितों को या तो विस्थापित हुई भूमि के घटते क्रम में या पैकेज डील अवधारणा, जहां छोटे भू-स्वामियों को अपने नामांकित व्यक्ति के एक रोजगार के लिए 02 एकड़ भूमि बनाने हेतु अपनी भूमि के छोटे भाग को जोड़ने की अनुमति है, के तहत प्रत्येक 02 एकड़ भूमि के लिए एक रोजगार के बदले सीधे रोजगार प्रदान कर रही हैं।

आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों का निवारण) आदेश 2015 की अधिसूचना के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि सभी सहायक कंपनियों को कोयला धारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। इसके

अलावा, सहायक कंपनी बोर्डों को संबंधित सहायक कंपनियों में प्रचलित विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में आरएंडआर नीति में आवश्यक संशोधनों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है क्योंकि नीति संपूर्ण नहीं है। भूमि-विस्थापितों के पास राज्य के कलेक्टर या सीआईएल की आरएंडआर नीति 2012 द्वारा पारित आरएंडआर लाभों का लाभ उठाने का विकल्प है।

सीसीएल द्वारा उक्त क्षेत्रों के संबंध में प्रदान किए गए मुआवजे और अन्य लाभों तथा रोजगार का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

क्षेत्र	भूमि विस्थापितों को कुल मुआवजा रुपये में	1985 से रोजगार
कथारा	7583764.58	147
बोकारो और करगिली	258121107.65	709
ढोरी	5933442.02	158
कुल	271638314.25	1014

(च) : विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के दौरान सीआईएल की सहायक कंपनियों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:-

- अधिकांश झोपड़ियाँ जीएम (गैर मजरुआ) भूमि पर बसी हैं, जिनके किरायेदारों के पास अपनी भूमि का दावा करने वाला कोई वैध दस्तावेज नहीं है। ये ग्रामीण मकान के मुआवजे के साथ-साथ जमीन के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं।
- झारखंड सरकार के संबंधित विभाग द्वारा उचित रिकॉर्ड बनाए रखने की कमी और अधिग्रहित भूमि का प्रमाणीकरण प्राप्त करने में देरी के कारण।
- पुनर्वास स्थल को अंतिम रूप देने के संबंध में ग्रामीणों के बीच आम सहमति बनाना।
- प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मानदंडों से परे रोजगार के दावे।
- रोजगार के दावे को लेकर परिवार में विवाद।
- विस्थापित लोगों को आरएंडआर स्थलों पर बसने की अनुमति देने के लिए मेजबान समुदाय का विरोध। मेज़बान समुदाय के पास स्थानांतरित होने में ग्रामीणों की अनिच्छा।
- पुनर्वास स्थल के लिए उपयुक्त भूमि की कमी।

(छ) : विस्थापित व्यक्तियों को प्रचलित नीति एवं मापदण्ड के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना एक सतत प्रक्रिया है। जैसे ही भूमि का वास्तविक कब्ज़ा ले लिया जाता है और आवश्यक अनुपालन/दस्तावेज़ीकरण पूरा हो जाता है, नौकरियां प्रदान की जाती हैं। ऐसा कोई भी मामला लंबित नहीं है, जहां आवश्यक दस्तावेज/अनुपालन पूरा हो गया हो।

सीसीएल के उक्त क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लंबित मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	लंबित/प्रक्रियाधीन रोजगार मामले परियोजना/क्षेत्र
बोकारो एवं करगली क्षेत्र	1. कारो ओसीपी - 06 2. एकेके ओसीपी - 06
ढोरी क्षेत्र	ढोरी ओसीपी - 04
कथारा क्षेत्र	शून्य

(ज) : लंबित/प्रक्रियाधीन मामलों का समाधान करने/इनका निपटान तेजी से करने के लिए सीसीएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

- आवेदकों, राज्य सरकार प्राधिकरण और ग्राम प्रतिनिधियों की मदद से रोजगार प्रस्तावों से संबंधित दस्तावेजों की कमी को पूरा करने व्यवस्था की जा रही है।
- सीसीएल अधिकारी भूमि विस्थापितों को आरएंडआर लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा परियोजना और क्षेत्र स्तर पर विभिन्न निगरानी समूह हैं जिनका गठन परियोजना और क्षेत्र दोनों स्तरों पर पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन और निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए किया गया है। उक्त समूह पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन के दौरान राज्य प्राधिकारियों के साथ भी बातचीत करता है। सीसीएल अपनी ओर से संबंधित ग्रामीणों के साथ नियमित संपर्क में है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उनके साथ बातचीत कर रही है।

****